

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 04/07, 2014

सेवा में,


श्री जिनेन्द्र सुराना,  
41, हुडको कालोनी,  
नीमच, मध्य प्रदेश.458441

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

.....


आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आवेदन दिनांक 22/05/2014, जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस मंत्रालय को अंतरित की गई है एवं जो अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 06/06/2014 को प्राप्त हुई है, के संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि पब्लिक अनुभाग के लिए अनुमोदित अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार पदम पुरस्कारों के लिए प्राप्त आवेदनों का प्रतिधारण एक वर्ष तक किया जाता है। अतः वर्ष 2003 से 2013 तक की सूचना शून्य समझी जाए। वर्ष 2014 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि उक्त सिफारिशी पत्रों में निजी सूचनाएँ होती हैं, अतः अधिनियम की धारा 8(1)(ज) के तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

2. इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा संख्या 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।



(श्यामला मोहन)

निदेशक एवं केन्द्रिय जन सूचना अधिकारी



Copy to:

Section Officer (IT) for uploading on the website of this Ministry.

सं. ए-43020/01/2014 आर टी आई

भारत सरकार  
बृह नगरालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2014

322

288644  
10/6/14

कार्यालय न्याय

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी/शुभ्री  
के आवेदन का अंतरण।

जिनेंद्र सुराना

इस न्यायद्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी/शुभ्री  
सुराना का दिनांक 22/05/2014 का आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय में अंतरण  
के क्रम में 28/05/2014 को प्राथम अर्थ में सूचना प्रशासन प्रभाग  
के कार्य से निकटतम से संबंधित है। अतः आवेदन को सूचना का  
अधिकार अधिनियम 2005 की धरा 6(1) के अंतर्गत एक लोक प्राधिकारी की सूचना प्रभाग को  
अंतरित किया जा रहा है। सूचना प्रभाग द्वारा यदि जानकारी किसी अन्य प्राधिकारी से प्राप्त  
की जायेगी तो सूचना प्रभाग को सूचना प्रभाग की सूचना प्रभाग के अंतर्गत अंतरित कर  
प्रधानमंत्री कार्यालय में

आवेदन के सूचना प्रभाग प्रधानमंत्री कार्यालय में  
क 10-रूप का अधिवक्ता द्वारा सूचना प्रभाग को सूचना प्रभाग के अंतर्गत अंतरित कर  
सूचना प्रभाग

वी.के. राजन  
(वि.क. राजन)

उप सचिव (स्था.) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सब से:  
निदेशक (5 वीं), - पब्लिक अनुभाग कलिंग  
बृह नगरालय  
गांधी ब्लॉक, नई दिल्ली।  
सहायक सूचना अधिकारी

श्री/श्रीमती/कुमारी/शुभ्री जिनेंद्र सुराना  
41, हुडको कॉलोनी  
नीमान - 458441, मध्य प्रदेश।

(उनसे, नानले नें आगे की सूचना के लिए उपर-उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध  
किया जाता है।)

6/6/14

us/p

6/6  
28/6/14  
28/6/14  
28/6/14